

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
18(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ नगर के अन्तर्गत इब्राहिमपुर वार्ड, शकूरपुर, रेवतापुर के गाटा संख्या-19 व 47 के मध्य गाटा संख्या-46 कुलावा बन्द होने के कारण क्षेत्र की जल निकासी नहीं हो पाती है ?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त कुलावा को खाली करायेंगे ?	प्रश्नगत गाटा संख्या-46 नगर निगम के अभिलेखों में नाली के रूप में अंकित है, जिस पर पक्के भवन निर्मित है। उक्त अवैध कब्जों को स्वतः हटाने हेतु सम्बन्धित को नोटिस पत्र संख्या-डी-286/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023, डी-287/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023, डी-288/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023, डी-289/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023, डी-290/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023, डी-291/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023, डी-292/का0त0/23, दिनांक 20.02.2023 को निर्गत की गई है। उक्त अवैध कब्जों की बेदखली हेतु पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

ए.के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।